न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)
I.D No-UP5743
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–817 / 2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–1888 / 2026
(CNR UPLP0100 4284-2026)

अवधेश कुमार पुत्र सुन्दरलाल उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम ओडहरा, थाना मितौली, जिला लखीमपुर खीरी।

**बनाम**

उ0प्र0राज्य

एस0टी0 नं0–203 / 2026
मुकदमा अपराध संख्या 84 / 2026
धारा 105 बी0एन0एस0 (304 भा0द0सं0)
थाना मितौली, जिला लखीमपुर खीरी।

**04.06.2026**

**1–** प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अवधेश कुमार की ओर से एस0टी0 नं0–203 / 2026, मुकदमा अपराध संख्या 84 / 2026, धारा 105 बी0एन0एस0 (304 भा0द0सं0), थाना मितौली, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

**2–** जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

**3–** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा अन्नपूर्णिमा द्वारा एक लिखित तहरीर संबंधित थाना पर दिनांक 25.02.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि उसके जेठ अवधेश कुमार दिनॉक–15.02.2026, को शाम 07:30 पी0एम0 पर अपनी पत्नी को दारू पीकर मारपीट रहे थे, जिस कारण उनके बच्चे चाचा दीपू को बचाने के लिए बुलाकर लाये, उस बीच उक्त अवधेश कुमार अपनी पत्नी छोड़कर अपने भाई दीपू को लाठी–डण्डों से पीटने लगे, जिससे दीपू को काफी चोटें लगी और बेहोश हो गया, इलाज हेतु चली गयी। उसके ससुर ने कहा परिजन होने के कारण प्रार्थना–पत्र थाने पर नहीं दिया गया। वादिनी, उसके ससुर लखनऊ इलाज के लिए चले गये। इलाज के दौरान दिनॉक–24.02.2026 को लखनऊ में मृत्यु हो गयी। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 105 बी0एन0एस0 में पंजीकृत

किया गया तथा बाद विवेचना आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

**4–** प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि वादिनी के द्वारा दी गयी तहरीर थाना मितौली में किस दिनॉक को दी गयी है, इसका तहरीर में कोई उल्लेख नहीं है और मारपीट की घटना को दिनॉक–15.02.2026 को समय 07:30 पी0एम0 पर बताया है, जो रात्रि का समय हो जाता है। मारपीट को पारिवारिक विवाद बताया जाता है, जबकि पूर्व से एक–दूसरे के परिवार से जमीनी विवाद व बंटवारे के संबंध में रंजिश चली आ रही है। दिनॉक–24.02.2026, को मृतक दीपू की लखनऊ में मृत्यु हो जाती है, जैसा तहरीर में वादिनी के बोलने पर लेखक द्वारा लिखा गया है, जिस पर कोई तारीख का अंकन नहीं है कि किस तारीख को थाने पर सूचना दी गयी है। मृतक का पंचायतनामा दिनॉक–25.02.2026, को लखीमपुर संबंधित थाना मितौली में होना बताया जाता है, जो मृतक के मकान पर दिनॉक–25.02.2026 को भरा गया है और पोस्टमार्टम भी लखीमपुर में ही दिनॉक–26.02.2026 को होने के प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी के साथ मारपीट नहीं की है और न मृतक को दिनॉक–15.02.2026 को लाठी–डण्डा व लात–घूसों से मारा–पीटा है, यदि मारपीट हुयी होती तो उसकी तहरीर या सूचना थाने पर अवश्य दी गयी होती। मृतक चूंकि दारू पीने का आदी था, उसके शरीर पर जो आयी चोटें हैं, इससे स्पष्ट होता है कि वह चोटें साधारण हैं और खरोंच की है, पेट में जो चोट आयी है, उस पर सरकारी पट्टी बंधी होने का पंचायतनामा में उल्लेख है और बांये हाथ में बीगो लगा है, लेकिन उक्त पत्रावली में सरकारी मेडिकल इलाज कराने के कोई भी प्रपत्र संलग्न नहीं है। पेट में इतनी गहरी चोट लाठी–डण्डा से नहीं आ सकती है, अन्य जगह मृतक गिरने से या कुछ गड़ जाने से चोट आयी होगी। प्रार्थी/अभियुक्त दिनॉक–28.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। दिनॉक–15.02.2026 को समय 07:30 बजे अंधेरा हो जाता है, स्वतंत्र कोई गवाह नहीं है। परिवार के ही सारे गवाह हैं, गवाहों में भी कोई अन्तर नहीं आया है, जाड़े का मौसम होता है, लोग अपने–अपने घरों में सो जाते हैं। सूर्यास्त 05:30 बजे हो गया था, दो घण्टे रात हो गयी थी। मृतक का किस मेडिकल अस्पताल में इलाज कराया गया है, इसका कोई जिक्र वादिनी ने अपनी तहरीर में नहीं दर्शाया है कि मृतक दीपू का इलाज कहॉ–कहॉ और लखनऊ के किस अस्पताल में कराया गया है, इसका कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दिनॉक–15.02.2026 की घटना राय मश्विरा के बाद फर्जी, बनावटी तैयार की गयी, क्योंकि

प्रार्थी/अभियुक्त अपने पिता का अकेला पुत्र है, परिवार में छोटे–छोटे बच्चे हैं, माता–पिता वृद्ध हैं, कमाने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त अकेला है, बच्चों का भविष्य व माता–पिता की वृद्धावस्था को देखकर जमानत स्वीकार करने की याचना करता है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम केस है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से सजायाफ्ता नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा दी गयी जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**5–** विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने चचेरे भाई को लाठी–डण्डों तथा लात–घूसों से मारपीट कर प्राणघातक उपहतियॉ कारित की गयी, जिसके परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण दिनॉक–24.02.2026, को चोटहिल की मृत्यु हो गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**6–** जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादिनी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**7–** पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा मृतक का चचेरे भाई है। प्रश्नगत घटना की चश्मदीद साक्षी श्रीमती छोटू देवी, जो कि प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी है, ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि, उसके पति अवधेश कुमार दिनॉक–15.02.2026, की शाम 07:30 बजे उसे दारू के नशे में मारपीट रहे थे, उसके चिल्लाने पर तथा उसके बच्चों के बुलाने पर दीपू उसके घर आये तो उसके पति अवधेश कुमार उसे मारना छोड़कर उसके चचेरे देवर दीपू को लाठी–डण्डों तथा लात–घूसों से मारने–पीटने लगे, जिससे चचेरे देवर को चोट लगने के कारण मौके पर बेहोश हो गये, उसके चचेरे देवर दीपू की पत्नी तथा दीपू के पिता दीपू को लखनऊ इलाज के लिए ले गये, जिनका इलाज लखनऊ में चलता रहा। आठ–दस दिन बाद इलाज के दौरान उसके चचेरे देवर दीपू की लखनऊ में मृत्यु हो गयी थी। उक्त साक्षी के उपरोक्त बयान का समर्थन अन्य चश्मदीद साक्षी ने भी किया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर दो चोटें आना दर्शित है तथा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण due to septicemic shock as a result of antemortem injuries होना अंकित है। पत्रावली पर

प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

**8–** अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अवधेश कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

दिनॉक–04.06.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.06 19:07:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court